पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। चूंकि इस प्रार्थना पत्र का मूल वाद राष्ट्रीय लोक अदालत मे लोक अदालत की भावना से जरिये डिक्री खारिज हो चुका है तो अब इस प्रार्थना पत्र को चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। प्रार्थना पत्र लोक अदालत की भावना से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी हो।

14/3/26

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर

14/3/26
सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
जोधपुर महानगर